

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 64 / 18  
संस्थापन दिनांक:-08 / 02 / 18

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

तिलकराम पिता शेषराव दरवाई,  
 उम्र 46 वर्ष, निवासी इंदिरा आवास कॉलोनी,  
 थाना आमला जिला बैतूल(म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 08.02.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498(ए) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.12.2017 को दोपहर करीब 02:10 बजे, थाना आमला से 13 किमी पूर्व में इंद्रा आवास कॉलोनी जम्बाड़ा स्थित फरियादी का घर में फरियादी कौशल्या के पति होते हुए उसके साथ कूरता कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी कौशल्या ने दिनांक 24.12.2017 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसका विवाह अभियुक्त से वर्ष 2003 में हुआ था। अभियुक्त उसे लगातार घरेलू छोटी छोटी बातों को लेकर चरित्र पर लांछन लगातर आये दिन उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता है। दिनांक 23.12.2017 को दोपहर करीब 2 बजे वह अपने घर पर थी तभी अभियुक्त आया और पानी गर्म करने की बात पर उसके साथ बेल्ट से मारपीट की। मारपीट से उसे दोनों आंखों के पास, कमर, बांये हाथ की कलाई में चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी तथा उसे कमरे में बंदर कर दिया। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 657 / 17 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 342, 323, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 498(ए) भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.12.2017 को दोपहर करीब 02:10 बजे, थाना आमला से 13 किमी पूर्व में इंद्रा आवास कॉलोनी जम्बाड़ा स्थित फरियादी का घर में फरियादी कौशल्या के पति होते हुए उसके साथ क्रूरता कारित की ?”

## **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

6 कौशल्या (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त तिलक उसका पति है। उसकी शादी वर्ष 2013 में अभियुक्त के साथ जाति रीति रिवाज से हुई थी। उसका अभियुक्त से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था। जिससे गुस्से में आकर उसने अपने पति के विरुद्ध प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लिखवा दी तथा पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था तथा उसका ईलाज करवाया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

7 साक्षी कौशल्या (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि दिनांक 23.12.2017 को अभियुक्त ने उसे बेल्ट से मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया था जिससे मुझे चोट आयी थी। साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया है कि वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आयी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस सुझाव को सही बताया है कि उसका अभियुक्त से घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हो गया था जिसकी शिकायत

उसने थाना आमला में की थी तथा वाद विवाद में धक्का लगने से गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे कमरे में बंद कर बेल्ट से मारपीट की थी। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ कूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ कूरता कारित की गयी हो। निष्कर्षतः अभियुक्त तिलकराम को धारा 498-ए भा०दं०सं० के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)